न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 91/2026 दिनांक 30.3.2026

मगाराम बनाम तहसीलदार पाटोदी

आदेश

प्रार्थी श्री मगाराम पुत्र लाधाराम जाति जाट निवासी रिछोली तहसील पाटोदी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हिंदालपुरा तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 351 क्षेत्रफल 17.8709 हैक्टयर भूमि संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थी की ओर से अपने हक हिस्सा भूमि का तारबंदी ऋण लिया गया है,लेकिन सहखातेदार तीजोदेवी पत्नि चैनाराम का खाता में दो बार नाम इन्द्राज होने के कारण रहन का नामान्तकरण दर्ज नही हो रहा है। अतः तीजोदेवी का रेकर्ड में दो दर्ज इन्द्राज प्रविष्टि को एकल करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर पाया कि हल्का पटवारी रिछोली की रिपोर्ट अनुसार सेग्रीग्रेशन से जमाबंदी की तहरीर करते समय तीजोदवी पत्नि चैनाराम को नाम दो बार दर्ज हुआ है,खाता एकल करने की अनुशंषा सहित रिपोर्ट तहसीलदार पाटोदी को पेश की गई है,जो पत्रावली के संलग्न छायाप्रति अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार तीजोदेवी का राजस्व रेकर्ड में अशुद्व दो बार प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जो दुरूस्ती की जाने से विवादित भूमि का रेकर्ड में एकरूपता आयेगी तथा प्रार्थी के आवेदन का भी निस्तारण हो जावेगा।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर वर्तमान मे दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैः—

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
01	हिंदालपुरा	30	351	1.तीजोदेवी पत्नि चैनाराम हि.1/15 जाति जाट 2.तीजोदेवी पत्नि चैनाराम हि.1/15 जाति जाट सा. देह खातेदार	तीजोदेवी पत्नि चैनाराम हि.2/15 जाति जाट सा. देह खातेदार शेष बदूस्तर

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर बालोतरा

प्रतिः—

1. तहसीलदार पाटोदी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्रार्थी मगाराम पुत्र लाधाराम जाति जाट निवासी रिछोली तहसील पाटोदी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा